Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में आबकारी थाना का प्रहराधिकारी एवं आबकारी गार्ड 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *09 जून, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये ईश्वर सिंह प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत–सलूम्बर, जिला उदयपुर एवं सलीम खां आबकारी गार्ड को परिवादी से 7 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि अज्ञात व्यक्ति की झूठी शिकायत पर उसके घर में घुसकर तोडफोड करने एवं डराधमका कर झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर ईश्वर सिंह प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत–सलूम्बर, जिला उदयपुर एवं सलीम खां आबकारी गार्ड द्वारा **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार** के सुपरवीजन में एसीबी उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री हरिशचंद्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सलीम खां पुत्र श्री असलम खां निवासी आसपुर, जिला डूंगरपुर हाल आबकारी गार्ड को आरोपी ईश्वर सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी निचला गुड़ा, पोस्ट बडावली, पुलिस थाना सेमारी, जिला उदयपुर हाल प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत–सलूम्बर, जिला उदयपुर के लिये परिवादी से 7 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण द्वारा परिवादी से मौके पर ही 3 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।